

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उमवान

भजनबात पुत्र हनुमानप्रसाद बनाम हनुमानप्रसाद पुत्र शिवचन्द जी  
जाति जाट निवासी गतरखेडा जाट निवासी गतरखेडा आली

दावा बाबत :- 88-89 RTA-  
मुकदमा नम्बर :- 58/2020  
निर्णय दिनांक :- 02/10/21


वादी की ओर से वकील मुन्शीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० 1-2 की ओर से वकील विरेन्द्र भारद्वाज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02/10/21

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

मुताबिक राजीनाम राँधी मौजा चउ 150R के रवात 113/105 के मु० न० 54 डिवा न० 21/2, 22/2, मु० न० 54 डिवा न० 1-2 मु० न० 55 डिवा न० 4-5 कुत 1. प 68 हे० व चउ 4 50R के रवात स० 113/108 मु० न० 37 13, 17, 18, 19/2, 22/2, 23 कुत 1.1 56 हे० व चउ 12 समस के रवात स० 89/87 के मु० न० 24 डरा 7, 25 1, 2, 3/2, 4, 7 स 10 कुत 2.778 हे० प्रतिवादी स० 1 हनुमानप्रसाद के नाम राजस्व रिजिस्ट्रि में दर्ज है उक्त वाद भूमि में हनुमान प्रसाद का नाम उत्तमपत कर वादी भजनबात व प्रति० स० 2 मुभाधनन्द के बहिष्मा वराठ के अनुसार रवातेदा मारगाट घोषित किया जाता है ए प्रति भूमि बैक के रदन हे तो रदन मुक्त होने पर उपरोक्त स० राजस्व रिजिस्ट्रि में मउव उर रिजिस्ट्रि उक्त डिप जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़